राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ–226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 8313 /40/76/एक/2018–19 दिनांकः 20 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ

विषय–**वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी मिशन) के उपघटक भागीदारी में किफायती आवास निर्माण एवं आवास विस्तार (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ पत्र सं0 3764 (1)/आ0ब0–1/निदेशक/18–19 दिनांक 06.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के उपघटक लाभार्थी आधारीत व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं आवास विस्तार (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत बसन्तकुंज योजना पार्ट–ए के 768 भवनों हेतु धनराशि रू0 768.00 लाख, बसन्तकुंज योजना पार्ट–बी के 912 भवनों हेतु धनराशि रू0 912.00 लाख एवं बालागंज योजना (बसंतकुंज योजना पार्ट–सी) के 432 भवनों हेतु धनराशि रू0 432.00 लाख कुल धनराशि रू0 2112.00 लाख (रू0 एक्कीस करोड बारह लाख मात्र) प्राधिकरण के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है । ततक्रम में प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 203 दिनांक 23.05.2018 के माध्यम से जनपद पर खोले गये बचत खाता जिसकी सूचना अभिकरण को उपलब्ध करायी गयी है जो पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रर्ड हैं में निम्न विवरणानुसार धनराशि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से अन्तरित की जा रही हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	आवासों की संख्या				अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (प्रति आवास रू0 250000/– का 40 प्रतिशत जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश सम्मिलित है)	बैंक का नाम	खाता संख्या
		सा0वर्ग	अनु0वर्ग	अनु0जनजाति	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बसन्तकुंज योजना पार्ट–ए	683	83	2	768	76800000.00	एच.डी0.एफ.सी. बैंक, एम0सी0 मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ	No. 50100195023120
2	बसन्तकुंज योजना पार्ट–बी	812	98	2	912	91200000.00		
3	बालागंज योजना (बसंतकुंज योजना पार्ट–सी)	385	46	1	432	43200000.00		
	योग	1880	227	5	2112	211200000.00		

अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाये।

1– अवमुक्त की जा रही अनुदान की धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत मार्च 2015, मार्च 2016 एवं समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप तथा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ही नियमानुसार उपयोग किया जाये।

2— प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 162/2016/623/69—1—16—14(139) /2015 टीसी दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है किसी भी दशा में व्ययवर्तन मान्य नही होगा तथा धनराशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है एवं सूडा की वेबसाइड पर भी अपलोड है।

4— **उपरोक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का वर्गवार स्वीकृत आवासों की अंकित संख्या के कम में धनराशि के उपयोग का भी ध्यान रखा जाये तथा वर्गवार (सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग एवं अनु0जनजाति वर्ग) का प्राधिकरण के अभिलेखों में लेखांकन भी कराने का कष्ट करें ।**

5— केन्द्रांश व राज्यांश की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार खाते में रखी जाये । इसके अतिरिक्त लाभार्थियों से प्राप्त की जाने वाली लाभार्थी अंशदान की धनराशि भी रेरा नियम के अन्तर्गत नियमानुसार उक्त खाते में रखा जाना सुनिश्चित करें ।

6— योजना की भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के दिशा—निर्देश की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न ।

7— भारत सरकार के पत्रांक 17024/85/2018—एचएफए—आई—यूडी(एमटीएस—9043397) दिनांक 05.07.2018 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संस्था को अवमुक्त धनराशि पर प्राप्त व्याज को किसी भी दशा में व्यय न किया जाये अन्यथा योजनान्तर्गत अग्रेतर अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में व्याज की धनराशि को समायोजित कर लिया जायेगा। अतः प्रत्येक तिमाही बचत खाते में प्राप्त व्याज की धनराशि को निर्धारित केन्द्रांश/राज्यांश के अनुपात में विभाजित करते हुए अभिकरण का योजनान्तर्गत भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत बचत खाता सं0 50100207817248 आईएफएससी कोड एचडीएफसी0001112, एचडीएफसी बैंक, गोमतीनगर, लखनऊ में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से प्रेषित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

संलग्नक—यथोपरि

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि—

1— संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2— अधिशाषी निदेशक आवास बन्धु प्रथम तल, जनपद मार्केट, लखनऊ।
3— अपर निदेशक/निदेशक महोदय।
4— कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
5— श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0 अधिकारी/वेबमास्टर/अनिल कुमार सिंह, सहायक सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक